JALAUN POLICE

दिनांक- 11.02.2026

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में ARTO, खनिज एवं कोतवाली उरई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 02 आरोपी(लोकेशन माफिया) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अवगत कराना है कि दिनांक 11.02.2026 को श्री राजेश कुमार (सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी) (प्रवर्तन) प्रथम जनपद जालौन एवं खान निरीक्षक श्री कुलदीप कुमार द्वारा कोतवाली उरई पुलिस के अवैध ओवरलोड उपखनिज लदे वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, चैकिंग के दौरान अनेक कारो एंव मोटरसाइकिलो से पीछा करने वाले वाहनो मे एंक कार जिसका नं0 UP21BE3133 बलेनो को प्रवर्तन टीम के आगे पीछे चलते हुये लोकेशन देने तथा उपखनिज लदे वाहनो को अवैध परिवहन में पास कराने हेतु फोन द्वारा सूचना आदान प्रदान करते हुये पाया गया। उक्त वाहन संख्या यू०पी० 21 बी ई 3133 बलेनो को चैकिंग टीम द्वारा रोका गया तो उक्त लोग एक राय होकर चैकिंग टीम के साथ अभद्रता कर साथ ही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करने लगे, दोनों आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। जिसमें से एक ने अपना नाम दीपक पुत्र धमेन्द्र विश्वकर्मा निवासी ग्राम रिनियां थाना कोत0 उरई जिला जालौन व दूसरे ने विवेक यादव पुत्र नरेश सिंह निवासी ग्राम रगौली थाना कोत0 उरई जिला जालौन बताया।

पूछताछ में आरोपीगण द्वारा बताया गया कि कि साहब हम लोगों के ट्रक चलते है, ओवरलोड व अन्य कारणों से आप लोगों द्वारा चेक करके गाडियों को बन्द कर दिया जाता है। भारी जुर्माने के बाद गाड़ियां छूट पाती है इसलिये हम लोग गाड़ियों को निकलवाने के लिये सड़क के किनारे खड़े होकर सतर्क दृष्टि बनाये रखते है जिससे की गाड़ियों को पकड़े जाने से बचाया जा सके तथा हम सभी लोग व्हाट्सएप व फोन के माध्यम से एक दूसरे के सम्पर्क में रहते हैं।

उक्त सभी आरोपीगण भौतिक रुप से एवं अपने- अपने मोबाइल फोन, व्हाट्सएप के माध्यम से संगठित गिरोह बनाकर छलपूर्वक, ट्रको से उपखनिजों का अवैध खनन, परिवहन व ओवरलोडिग करते हुये राजकीय सम्पत्ति की क्षति व राजस्व की चोरी करते हैं। अभियुक्तगणों के विरुद्ध कोतवाली उरई में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है तथा बरामद गाड़ी बलेनो को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.दीपक पुत्र धमेन्द्र विश्वकर्मा निवासी ग्राम रिनियां कोतवाली उरई जनपद जालौन

2. विवेक यादव पुत्र नरेश सिंह निवासी ग्राम रगौली कोतवाली उरई जनपद जालौन

अभियुक्तगणों के पास से 03 अदद मोबाईल फोन बरामद।

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी आस-पास के जनपदों/थानो से की जा रही है।

टीम का विवरण-

1- एआरटीओ प्रथम जनपद जालौन

2- खान निरीक्षक उरई जनपद जालौन

3- कोतवाली उरई पुलिस।